रीट पेपर लीक के आरोपी रामकृपाल से 21.80 लाख की नकदी बरामद

- आरोपी से अब तक 1 करोड़ 3 लाख 80 हजार रुपये बरामद कर चुकी है एसओजी
- जांच में सामने आया है कि रामकृपाल ने उदाराम व अन्य आरोपी की मदद से पेपर बेचकर यह रकम कमाई थी

जयपुर (कासं)। रीट परीक्षा का पेपर बेचकर रामकृपाल मीणा द्वारा कमाई गई रकम में से 21 लाख 80 हजार की नकदी शनिवार को राजस्थान एसओजी ने बरामद की है। दरअसल शिक्षा संकुल के स्ट्रांग रूम से रीट का पेपर लीक करने वाले गिरोह में रामकृपाल मीणा भी शामिल था। इससे पहले भी एसओजी ने कार्रवाई करते हुए राम कृपाल से 71 लाख रुपए नकद बरामद किए थे, इसके साथ ही विभिन्न बैंक खातों में जमा 11 लाख रुपए फ्रीज करवाए थे। इस प्रकार से एसओजी अब तक रामकृपाल से कुल 1 करोड़ 3 लाख 80 हजार रुपए बरामद कर चुकी है। आरोपी रामकृपाल ने यह रकम गिरोह के उदाराम और एक अन्य आरोपी को रीट परीक्षा का पेपर बेचकर प्राप्त की थी। इस पूरे प्रकरण में कुछ अन्य लोगों के नाम भी सामने आए हैं, जिन्हें पेपर बेचा गया है, उनकी जांच करने में एसओजी टीम जुटी हुई है।

सूत्रों के मुताबिक एसओजी जांच में सामने आया है कि जयपुर के शिक्षा संकुल से पेपर लीक करने के बाद उसे सांचौर और बाड़मेर में कुछ अभ्यर्थियों को भेजा गया। शिक्षा संकुल के जिस स्ट्रांग रूम में पेपर रखे गए थे उसे खोलने के लिए 2 चाबियों की जरूरत होती है। जिसकी पहली चाबी कोऑर्डिनेटर बीएस बैरवा और दूसरी चाबी कोऑर्डिनेटर रविंदर फौजदार के पास मौजूद थी। रीट पेपर के स्टेट कोऑर्डिनेटर प्रदीप पाराशर ने स्ट्रांग रूम खुलवाने के बाद दोनों कोऑर्डिनेटर को किसी काम से बाहर भेज दिया और इसी दौरान राम कृपाल मीणा ने पेपर आउट कर लिया। पेपर आउट करने के बाद गिरोह के सदस्यों को पेपर पहुंचाया, इसके साथ ही सांचौर और बाड़मेर में कुछ अभ्यर्थियों को भी डायरेक्ट पेपर भेजा गया। फिलहाल इस पूरे प्रकरण में अभी कुछ अन्य लोगों की गिरफ्तारी होनी शेष है, जिनकी तलाश में एसओजी टीम जुटी हुई है।

9 फरवरी से अदालतों में होगी हाइब्रिड तरीके से सुनवाई

जयपुर। हाईकोर्ट सहित प्रदेश की सभी अधीनस्थ अदालतों व अधिकरणों में हाइब्रिड तरीके से सुनवाई होगी। यानि वकील वीसी के साथ-साथ अदालत में व्यक्तिगत रूप से पेश होकर भी बहस कर सकते हैं। हाईकोर्ट प्रशासन ने इस संबंध में पूर्व में जारी अधिसूचना को संशोधित किया है।

अधिसूचना में कहा गया है कि कोर्ट कक्ष में सिर्फ उन्हीं अधिवक्ताओं को प्रवेश किया जाएगा, जिन्हें अपने मुकदमें में बहस करनी है। इसके अलावा हाईकोर्ट व अधीनस्थ अदालतों में कोविड वैक्सीन का डोज लग गया हो। गौरतलब है कि फिलहाल हाईकोर्ट सहित सभी अधीनस्थ अदालतों व अधिकरणों में सिर्फ वीसी के जरिए ही सुनवाई हो रही है।

शिक्षा के क्षेत्र में उच्चतम पायदान पर पहुंचे राजस्थान : सीएम

मुख्यमंत्री अशोक गहलोत ने शनिवार को अपने निवास से वीसी के जरिये शिक्षा क्षेत्र के प्रतिनिधियों के साथ बजट पूर्व बैठक को संबोधित किया।

जयपुर, (का.सं.)। मुख्यमंत्री अशोक गहलोत ने कहा कि शिक्षा किसी भी देश की तरक्की का मुख्य आधार है। राज्य सरकार ने प्रदेश में शिक्षा का बेहतरीन माहौल तैयार कर भावी पीढ़ी को अच्छे अवसर उपलब्ध कराने के लिए विगत तीन वर्षों में एक से बढ़कर एक निर्णय लिए हैं और नवाचार किए हैं। बजट पूर्व संवाद के माध्यम से हमारा प्रयास है कि विशेषज्ञों से सुझाव लेकर शिक्षा के क्षेत्र में राजस्थान को उच्चतम पायदान पर ले जाएं और शिक्षा से सम्बन्धित समस्याओं का समुचित हल निकले।

- 'बैठक में आए सुझावों का परीक्षण कर आगामी बजट में शामिल करने का प्रयास किया जाएगा'

गहलोत शनिवार को मुख्यमंत्री निवास से वीसी के माध्यम से शिक्षा क्षेत्र के प्रतिनिधियों के साथ बजट पूर्व बैठक को संबोधित कर रहे थे। उन्होंने कहा कि शिक्षा राज्य सरकार की सर्वोच्च प्राथमिकता में शामिल है और इस दिशा में पूरी प्रतिबद्धता के साथ आगे बढ़ रहे हैं। बैठक में आए सुझावों का परीक्षण कर आगामी बजट में शामिल करने का प्रयास किया जाएगा, ताकि वर्तमान आवश्यकताओं के अनुरूप शिक्षा के क्षेत्र में बेहतर काम हो सके।

बैठक में शिक्षा से जुड़े विभिन्न गैर सरकारी संगठनों, गैर सरकारी विद्यालयों के प्रतिनिधि, शिक्षक प्रतिनिधि, विभिन्न विश्वविद्यालयों के कुलपति एवं कॉलेजों के प्राचार्य, तकनीकी शिक्षण संस्थाओं के प्रतिनिधियों आदि ने अपने सुझाव दिए। उन्होंने शिक्षा को लेकर राज्य सरकार द्वारा विगत तीन वर्षों में किए गए निर्णय एवं नवाचारों की सराहना की और कहा कि राज्य सरकार की नीतियों से प्रदेश में शिक्षा का बेहतर माहौल बना है।

बैठक में शिक्षा मंत्री डॉ. बीडी कल्ला, ग्रामीण विकास एवं पंचायतीराज मंत्री रमेश मीणा, शिक्षा राज्यमंत्री जाहिदा खान, उच्च शिक्षा राज्यमंत्री राजेन्द्र सिंह यादव, युवा मामलात राज्यमंत्री अशोक चांदना, तकनीकी शिक्षा राज्यमंत्री डॉ. सुभाष गर्ग, मुख्य सचिव उषा शर्मा, मुख्यमंत्री के आर्थिक सलाहकार अरविन्द मायाराम, सलाहकार गोविन्द शर्मा, निरंजन आर्य, अतिरिक्त मुख्य सचिव स्कूल शिक्षा पवन कुमार गोयल, प्रमुख शासन सचिव वित्त अखिल अरोरा, प्रमुख शासन सचिव ग्रामीण विकास एवं पंचायतीराज अपर्णा अरोरा, प्रमुख शासन सचिव महिला एवं बालिका विकास श्रेया गुहा, प्रमुख शासन सचिव कार्मिक हेमन्त गेरा, शासन सचिव उच्च एवं तकनीकी शिक्षा भवानी सिंह देथा सहित सम्बन्धित विभागों के अधिकारी उपस्थित थे।

पटवार भर्ती के परिणाम में अनियमितता और विवादित प्रश्नों को लेकर मांगा जवाब

जयपुर। हाईकोर्ट ने पटवार भर्ती-2021 में अनियमितता बरतने और उत्तर कुंजी में तीन प्रश्नों के जवाब गलत जांचने के मामले में कर्मचारी चयन बोर्ड के चेयरमैन और सचिव से जवाब मांगा है। जस्टिस महेन्द्र गोयल की एकलपीठ ने यह आदेश ओमप्रकाश की याचिका पर दिए।

याचिका में अधिवक्ता रामप्रताप सैनी ने अदालत को बताया कि बोर्ड ने गत 24 अक्टूबर को पटवार भर्ती के लिए परीक्षा आयोजित की थी। वहीं 22 नवंबर को लिखित परीक्षा की प्रारंभिक उत्तर कुंजी जारी की गई। याचिका में कहा गया कि प्रारंभिक उत्तर कुंजी में बोर्ड ने सवालों के सही जवाब जांचे थे, लेकिन गत 25 जनवरी को जारी की गई अंतिम उत्तर कुंजी में तीन प्रश्नों के जवाब बदल दिए गए। जबकि मान्यता प्राप्त पुस्तकों और दस्तावेजों के अनुसार बोर्ड की ओर से अंतिम उत्तर कुंजी में बताए तीन सवालों के जवाब गलत थे। इसके अलावा परिणाम जारी करने में नॉर्मलाईजेशन प्रक्रिया को भी सही तरीके से लागू नहीं किया गया। वहीं चयन बोर्ड ने न तो अभ्यर्थियों के अंक बताए और ना ही किस पारी के कितने अभ्यर्थी चयनित हुए, इसकी जानकारी दी। याचिका में यह भी कहा गया है कि बोर्ड ने मामले में गठित विशेषज्ञ कमेटी की रिपोर्ट को भी सार्वजनिक नहीं किया और मनमाने तरीके से परिणाम जारी किया है। याचिका में गुहार की गई है कि विवादित प्रश्नों के उत्तर सही जांचें जाए और याचिकाकर्ता को बोनस अंक देते हुए प्रश्न पत्र बनाने वालों को ब्लैक लिस्ट किया जाए। इसके साथ ही जब तक याचिका पर निर्णय नहीं हो, तब तक चयन प्रक्रिया पर रोक लगाई जाए।

डोटासरा के घर के बाहर "नाथी का बाड़ा" लिखने वालों के खिलाफ मुकदमा दर्ज

जयपुर (कासं)। रीट परीक्षा में हुई धांधली के विरोध में प्रदेश कांग्रेस अध्यक्ष गोविंद सिंह डोटासरा के जयपुर में सिविल लाइन स्थित सरकारी निवास पर काली स्याही से नाथी का बाड़ा लिखने के मामले में सोडाला थाना पुलिस ने मुकदमा दर्ज किया है। पुलिस ने बताया गोपालगढ़ जिला भरतपुर निवासी एवं भाजयुमो के प्रदेश उपाध्यक्ष विपुल शर्मा, स्वदेश शर्मा तथा रामेश्वर छाबा के खिलाफ राजस्थान संपत्ति विरूपण अधिनियम के तहत मुकदमा दर्ज किया गया है।

दरअसल रीट परीक्षा में हुई धांधली को लेकर विपुल शर्मा समेत भाजयुमो कार्यकर्ता अपनी गाड़ी से प्रदेश कांग्रेस अध्यक्ष गोविंद सिंह डोटासरा के सिविल लाइन स्थित सरकारी निवास पर काली स्याही लेकर पहुंच गए एवं उनके निवास पर "नाथी का बाड़ा" लिखकर वहां से भाग गए थे।

करोना की फर्जी रिपोर्ट से क्लेम लेने के मामले में अग्रिम जमानत अर्जी खारिज

जयपुर, (का.सं.)। अतिरिक्त सत्र न्यायालय क्रम-3 महानगर प्रथम ने कोविड की दूसरी लहर के दौरान कोरोना की फर्जी रिपोर्ट के आधार पर क्लेम लेने के मामले में चार लोगों को अग्रिम जमानत का लाभ देने से इनकार कर दिया है। इसके साथ ही अदालत मोहित, महिपाल यादव, मनोज और कमल कांत की अर्जी को खारिज दिया है।

अग्रिम जमानत अर्जी में कहा गया कि उन्हें मामले में फंसाया जा रहा है। करोना पॉजिटिव होने के बाद वे क्वारंटाइन भी रहे थे। उनके फरार होने का खतरा भी नहीं है। ऐसे में उन्हें अग्रिम जमानत का लाभ दिया जाए। वहीं बीमा कंपनी की ओर से बताया गया कि कंपनी ने 738 रुपए के प्रीमियम पर विशेष बीमा पॉलिसी जारी की थी। इसमें बीमित व्यक्ति करोना पॉजिटिव होने पर कंपनी की ओर से 50 हजार रुपए तत्काल सहायता दिए जाने का प्रावधान था। कंपनी ने कोविड रिपोर्ट के आधार पर कई लोगों को बीमा राशि का भुगतान किया। वहीं किए गए भुगतान की जांच में आया कि चारो आरोपियों के बीमा दावे झूठे पाए गए। इस पर चारों के खिलाफ अशोक नगर पुलिस थाने में रिपोर्ट दर्ज करवाई। बीमा कंपनी की ओर से कहा गया कि चारों ने मालवीय नगर स्थित डायग्नोस्टिक लैब से करोना पॉजिटिव की झूठी रिपोर्ट तैयार करवाई। इस तरह से झूठे दावों की वजह से बीमा कंपनी को नुकसान हुआ है और अन्य सही दावे भी संदेह में आने से भुगतान में देरी की संभावना रहती है।

बसंत पर्व पर बसंत गीतों से सराबोर हुआ जेकेके का रंगायन

आज़ादी का अमृत महोत्सव में कला, संस्कृति एवं पुरातत्व विभाग, जवाहर कला केन्द्र व जयपुर कत्थक केन्द्र की ओर से बसंत पंचमी पर बसन्त पर्व का आयोजन किया गया। यह कार्यक्रम जेकेके रंगायन सभागार में आयोजित हुआ जहां कलाकारों ने गायन और नृत्य की प्रस्तुतियों से दर्शकों का मन मोह लिया।

जयपुर, (का.सं.)। आज़ादी का अमृत महोत्सव के अन्तर्गत कला, संस्कृति एवं पुरातत्व विभाग, राजस्थान सरकार, जवाहर कला केन्द्र व जयपुर कत्थक केन्द्र द्वारा बसंत पंचमी के अवसर पर बसन्त पर्व का आयोजन किया गया। यह कार्यक्रम जेकेके रंगायन सभागार में आयोजित हुआ जहां कलाकारों ने गायन और नृत्य की प्रस्तुतियों से दर्शकों का मन मोह लिया। इस अवसर पर कला, साहित्य, संस्कृति एवं पुरातत्व विभाग, राजस्थान सरकार के संयुक्त सचिव, पंकज ओझा ने मुख्य अतिथि के रूप में शिरकत की। संगीतकार व गायक राजीव भट्ट के निर्देशन में सरस्वती वन्दना व बसन्त वंदन की प्रस्तुति के साथ कार्यक्रम की शुरूआत हुई।

कार्यक्रम में कलाकार राजीव भट्ट, शिखा भट्ट, देवव्रत भट्ट, रेखा भट्ट, वर्षा विजयवर्गीय ने सुरीली प्रस्तुतियों से बसंत ऋतु का आव्हान व बसन्त वंदन किया। प्रस्तुति के दौरान कीबोर्ड पर पियूष कुमार, तबले पर सावन डांगी और ओक्टापैड व मंजीरे पर महेश खाण्डे ने साथ दिया। कलाकारों ने जगत जननी ज्वाला मुखी माता सरस्वती, कुसुमल कुसुम-वरण अर्पण है, देखो बसंत बहार आई, बसंत है आया बसंती, आओ रे आओ सखी आदि गीत प्रस्तुत किए। राजीव भट्ट के निर्देशन में कार्यक्रम का संचालन प्रोमिला राजीव ने किया।

इसके बाद डॉ. रेखा ठाकर के निर्देशन में "नव बसन्त आया सखी री" के अन्तर्गत कथक नृत्य की प्रस्तुतियां हुईं। जयपुर घराने के कथक के साथ बसंत ऋतु पर तीन बंदिशे कोयलिया बोले अमुआ की डार, नववसंत आया और कुंज कुंजवन निकुंज प्रस्तुत की गई। कार्यक्रम में प्रस्तुति देने वाले कलाकारों में गार्गी शर्मा, शगुन शर्मा, चित्रांश तंवर, प्रेरणा कौशिक और अनन्या दलवी शामिल थीं। वहीं संगतकारों में डॉ. प्रवीण आर्य (पखावाज वादन), मुन्ना लाल भट्ट (गायन), हरिहर शरण भट्ट (सितार वादन), मोईनुद्दीन खान (सारंगी वादन) और मुजफ्फर रहमान (तबला वादन) शामिल थे।

मासूम के साथ दुष्कर्म कर हत्या करने वाला अभियुक्त दोषी सिद्ध

जयपुर, (का.सं.)। जिले की पॉक्सो मामलों की विशेष अदालत ने नरैना थाना इलाके में 11 अगस्त 2011 को चार साल की मासूम के साथ दुष्कर्म करने के बाद उसकी हत्या करने वाले अभियुक्त सुरेश को अपहरण, दुष्कर्म और हत्या सहित अन्य धाराओं में दोषी करार दिया है। वहीं अदालत आठ फरवरी को अभियुक्त को सजा सुनाएगी।

मामले के विशेष लोक अभियोजक महावीर सिंह किशनावत ने बताया कि कोर्ट ने इस केस को गंभीर मानते हुए दैनिक सुनवाई की है। वहीं अभियोजन पक्ष ने कोर्ट में 41 गवाहों के बयान दर्ज कराए और केस से जुडे 139 दस्तावेज पेश किए गए। अभियोजन पक्ष की ओर से प्रकरण को दुर्लभतम बताते हुए कोर्ट से अभियुक्त को फांसी की सजा देने का आग्रह किया है। मामले के अनुसार परिवादी ने 12 अगस्त को रिपोर्ट दर्ज कराई थी कि उसकी चार साल की बेटी बीती रात पड़ोस में गई थी, लेकिन वापस नहीं लौटी। वहीं थोड़ी देर बाद पुलिस को सूचना मिली कि एक बच्ची की लाश तलाई में तैर रही है। इस पर पुलिस ने बच्ची के शव को पोस्टमार्टम के लिए भेजा तो उसके साथ दुष्कर्म होने के साथ ही अन्य ज्यादती होने की पुष्टि भी हुई। इस पर पुलिस ने अलग-अलग टीम बनाकर अनुसंधान किया और 13 अगस्त को अभियुक्त को गिरफ्तार किया। वहीं मामले में 25 अगस्त को अदालत में आरोप पत्र पेश किया गया।

'विश्वसनीयता कायम रखते हुए राष्ट्र निर्माण में भूमिका निभाएं सी.ए.'

जयपुर, (का.सं.)। मुख्यमंत्री अशोक गहलोत ने कहा कि अर्थव्यवस्था से जुड़े विभिन्न पहलुओं को समझ कर वित्तीय जागरूकता लाना चार्टर्ड अकाउंटेंट्स का महत्वपूर्ण दायित्व है। सी.ए. की ऑडिट को हमेशा विश्वसनीय माना जाता है, क्योंकि यह काफी जांच परख कर बनाई जाती है। ऐसे में, चार्टर्ड अकाउंटेंट्स की जिम्मेदारी है कि वे अपनी विश्वसनीयता कायम रखते हुए राष्ट्र निर्माण में अपनी महती भूमिका अदा करें।

- सी.आई.आर.सी. के उप क्षेत्रीय सम्मेलन में परामर्शदात्री समिति के प्रतिनिधियों ने बजट के संबंध में कई सुझाव दिये

गहलोत शनिवार को मुख्यमंत्री निवास से वीडियो कॉन्फ्रेंस के माध्यम से आई.सी.ए.आई. की सेन्ट्रल इण्डिया रीजनल काउंसिल के उप क्षेत्रीय सम्मेलन के उद्घाटन सत्र को सम्बोधित कर रहे थे। उन्होंने कहा कि हाल ही में आयोजित बजट पूर्व बैठक में राज्य स्तरीय कर परामर्शदात्री समिति से जुड़े प्रतिनिधियों ने कई अच्छे सुझाव दिए। हमारा प्रयास रहेगा कि इन सुझावों का समावेश बजट में हो, ताकि उद्यमियों को इसका लाभ मिल सके।

मुख्यमंत्री ने कहा कि देश में संविधान लागू होने से पहले सी.ए. एक्ट लागू हो गया था। हमारे महान नेता इस एक्ट का महत्व जानते थे, इसलिए आजादी के बाद इस एक्ट को आधार सम्मत बनाया गया। उन्होंने कहा कि देश की अर्थव्यवस्था को मजबूत बनाने, करदाताओं की सही रूप से ऑडिट करने तथा ईमानदारी पूर्वक कर चुकाने में चार्टर्ड अकाउंटेंट्स की भूमिका महत्वपूर्ण है। उनकी जिम्मेदारी है कि वे औद्योगिक एवं वाणिज्यिक संस्थाओं तथा आमजन को कर अदायगी के प्रति सही राय देकर देश-प्रदेश के विकास में अपनी सकारात्मक भूमिका का निर्वहन करे।

गहलोत ने कहा कि हमारे पूर्व राष्ट्रपति स्व. ए.पी.जे. अब्दुल कलाम कहते थे कि 'सी.ए. इज द पार्टनर ऑफ नेशन बिल्डिंग'। उनके इस वाक्य से पता चलता है कि देश निर्माण में सी.ए. का स्थान कितना अहम है।

सी.आई.आर.सी. के चेयरमैन नीलेश गुप्ता ने काउंसिल की गतिविधियों के बारे में बताया। वाइस चेयरमैन अतुल गुप्ता ने बताया कि काउंसिल द्वारा एम.एस.एम.ई. हैल्पलाइन शुरू की गई है, जिसके माध्यम से कोई भी बेरोजगार सरकारी योजनाओं का लाभ उठा सकता है।

कार्यक्रम में काउंसिल के कोषाध्यक्ष सी.ए. दिनेश कुमार जैन एवं अन्य पदाधिकारी उपस्थित थे।

जीएसटी चोरी के मामले में मिली जमानत

जयपुर। हाईकोर्ट ने मिराज ग्रुप से जुडे जीएसटी चोरी के मामले में मॉन्टेज पैकेजिंग सेल्स प्रा.लि. के निदेशक धनंजय सिंह को जमानत पर रिहा करने के आदेश दिए हैं। जस्टिस नरेन्द्र सिंह ने यह आदेश आरोपी की जमानत याचिका को स्वीकार करते हुए दिए।

अर्जी में कहा गया कि उस पर 16 करोड़ रुपए जीएसटी चोरी का आरोप है। उसे प्रकरण में झूठा फंसाया गया है। उसका काम सिर्फ पैकिंग पाउच की सप्लाई करना था। वहीं खाली पडे पाउच के आधार पर जीएसटी की गणना गलत तरीके से की गई है। इसके अलावा वह करीब सौ दिन से न्यायिक अभिरक्षा में चला रहा है। ऐसे में उसे जमानत दीजाये।

"तंबाकू से कैंसर नहीं होता" वाले बयान पर केंद्रीय मंत्री ने तंज कसा

जयपुर। स्वास्थ्य मंत्री के तंबाकू से कैंसर नहीं होता वाले बयान पर केंद्रीय जलशक्ति मंत्री गजेंद्र सिंह शेखावत ने तंज कसा। शेखावत ने कहा कि स्वास्थ्य मंत्री को अंदाज तक नहीं कि वे आम जनता विशेषकर युवाओं को क्या सिखा रहे हैं?

शनिवार को शेखावत ने कहा कि देशभर में सभी तरह के कैंसर में से तंबाकू के कारण होने वाले कैंसर का प्रतिशत लगभग 25 फीसदी है, लेकिन राजस्थान के स्वास्थ्य मंत्री मानते हैं कि तंबाकू खाने से कैंसर नहीं होता।

केंद्रीय मंत्री ने कहा कि लग रहा है, जैसे एक स्वास्थ्य मंत्री तंबाकू सेवन का प्रचार कर रहा है।

रीट पेपर लीक मामले की सीबीआई जांच की मांग पर भाजपा विधायक 8 फरवरी को धरना देंगे : डॉ. पूनिया

- 'रीट मामले में राजीव गांधी स्टडी सर्किल से जुड़े लोगों की लिप्तता के बावजूद मुख्यमंत्री सीबीआई जांच करवाने से क्यों पीछे हट रहे हैं?'
- 'रीट पेपर लीक और अलवर मूक बधिर पीड़िता को न्याय दिलाने के लिये भाजपा सदन में भी मुखरता से उठाएगी आवाज'

जयपुर/अलवर। उत्तर प्रदेश के तीन दिवसीय चुनाव प्रचार प्रवास के बाद भाजपा प्रदेश अध्यक्ष डॉ. सतीश पूनिया आज अलवर पहुंचे, जहां भाजपा युवा मोर्चा अलवर दक्षिण द्वारा अलवर की मूक-बधिर नाबालिग बेटी को न्याय दिलाने को लेकर अलवर में रक्त से लिखे गए पत्रों की मुहिम को समर्थन देते हुये डॉ.सतीश पूनिया ने हस्ताक्षर किये और कहा कि बच्ची के न्याय के लिए हम विधानसभा में पुरजोर तरीके से इस मुद्दे को उठाएंगे।

वहीं, रीट पेपर लीक मामले को लेकर डॉ. पूनिया ने कहा कि कांग्रेस सरकार के एक मंत्री राजीव गांधी स्टडी सर्किल के नेशनल को-कोर्डिनेटर हैं, स्वयं मुख्यमंत्री अशोक गहलोत इस सर्किल के चेयरमैन हैं, अब तक गिरफ्तार किये लोगों में एक व्यक्ति का सीधा संबंध राजीव गांधी स्टडी सर्किल है, एक को सस्पेंड कर दिया गया है। इससे स्पष्ट हो रहा है कि, राजीव गांधी स्टडी सर्किल से जुड़े कई लोगों की इस महाघोटाले में लिप्तता सामने आ रही है, बावजूद मुख्यमंत्री गहलोत इस मामले की सीबीआई जांच करवाने से क्यों पीछे हट रहे हैं? डॉ. पूनिया ने कहा कि, प्रदेश का युवा आक्रोशित है, जो कांग्रेस सरकार को सत्ता से हटाने के लिये 2023 का बेसब्री से इंतजार कर रहा है। भाजपा रीट पेपर लीक मामले की सीबीआई से जांच करवाने की मांग को लेकर पूरे प्रदेश में आंदोलनरत है, 8 फरवरी को पार्टी के सभी विधायक जयपुर में महात्मा गांधी सर्किल पर धरना देंगे और 9 फरवरी से सदन शुरू होगा, जहां भी इस मुद्दे पर सरकार को घेरा जाएगा।

'कृषि विश्वविद्यालयों के शैक्षणिक पदों की भर्ती में समान स्कोर कार्ड लागू किया जाए'

विधायक वासुदेव देवनानी ने लिखा राज्यपाल व कुलाधिपति कलराज मिश्र को पत्र

जयपुर। पूर्व शिक्षा मंत्री एवं अजमेर उत्तर के विधायक वासुदेव देवनानी ने शनिवार को राज्यपाल व कुलाधिपति कलराज मिश्र को पत्र लिखकर प्रदेश के सभी कृषि विश्वविद्यालयों की नई भर्ती में समान स्कोर कार्ड लागू करने की मांग की है।

देवनानी ने कहा है कि सरकार की अनदेखी के चलते नई भर्ती में कृषि विश्वविद्यालय अपनी-अपनी ढपली-अपना अपना राग अलापने जा रहे हैं। अन्य नियम समान होने के बाद भी विश्वविद्यालय नई भर्ती के दौरान अपना-अपना स्कोर कार्ड लागू करने को आमादा हैं, जो पारदर्शी भर्ती प्रक्रिया की दृष्टि से कतई ठीक नहीं है।

देवनानी ने कहा कि प्रदेश में वर्तमान में पांच कृषि विश्वविद्यालय संचालित हैं। इन सभी कृषि विश्वविद्यालयों में कुलपति नियुक्ति, छात्र प्रवेश परीक्षा, एकेडमिक कैलेण्डर, टीचिंग-नोन टीचिंग स्टाफ की संख्या, योग्यता इत्यादि के नियम एक समान हैं। इन दिनों इन कृषि विश्वविद्यालयों में शैक्षणिक-अशैक्षणिक पदों पर नई भर्ती की प्रक्रिया शुरू होने वाली है। भर्ती का विज्ञापन निकालने की तैयारी है। सरकार की

- कृषि विश्वविद्यालयों की नई भर्ती में असमान स्कोर कार्ड लागू करने का मामला

उदासीनता एवं कृषि विश्वविद्यालयों की मनमर्जी के चलते इन नई भर्तियों में चयन के मापदंड हेतु अलग-अलग विश्वविद्यालयों द्वारा अपना-अपना स्कोर कार्ड जारी करने के समाचार आ रहे हैं। असमान स्कोर कार्ड लागू करने का विषय सरकार तक पहुंचाने का प्रयास भी हुआ है, लेकिन राज्य सरकार अब तक इसको लेकर कोई एक्शन में नहीं आई है।

देवनानी ने कहा कि कृषि विश्वविद्यालयों में कुलपति नियुक्ति, छात्र प्रवेश परीक्षा, एकेडमिक कैलेण्डर, टीचिंग-नोन टीचिंग स्टाफ की संख्या, योग्यता इत्यादि के नियम एक समान हैं तो नई भर्ती में समान पद, समान योग्यता होते हुए भी समान स्कोर कार्ड लागू नहीं करना निश्चित ही पूरी भर्ती प्रक्रिया पर प्रश्नचिन्ह खड़ा करने के साथ अपने चहेतों को फायदा देने की मंशा की ओर इशारा करता है। बेरोजगार छात्रों के हितार्थ भर्ती प्रक्रिया को और अधिक पारदर्शी बनाने के लिए सरकार को समान पद हेतु समान स्कोर कार्ड लागू करवाने की सख्त आवश्यकता है, ताकि न केवल भर्ती परीक्षाओं में भाई-भतीजावाद को लेकर भविष्य में कोई जगह नहीं रहे, बल्कि योग्य शैक्षणिक स्टाफ भी मिल सके। देवनानी ने राज्यपाल मिश्र से सभी कृषि विश्वविद्यालयों में शैक्षणिक एवं अशैक्षणिक पदों की भर्ती हेतु समान पद, समान योग्यता एवं समान स्कोर कार्ड की प्रक्रिया लागू कर निष्पक्ष भर्ती का मार्गप्रशस्त करवाने की मांग की है।

चिंतन की आड़ में फिर सरकार को हो रही है चिंता : राठौड़

जयपुर। उपनेता प्रतिपक्ष राजेंद्र राठौड़ ने ट्वीट कर कहा कि विधानसभा सत्र से पहले कांग्रेस पार्टी को आज ये चिंता सता ही गई कि जुलाई 2020 में अंतर्कलह के समय पांच सितारा होटल में जिनको लॉलीपॉप दिया गया, कहीं वो सदन में असंतोष की मशाल नहीं थाम लें। इसलिए चिंतन की आड़ में एक बार फिर चिंता की जा रही है। राठौड़ ने कहा कि 5 सितारा संस्कृति की आदी हो चुकी कांग्रेस होटल में चाहे जितने चिंतन-मनन कर ले लेकिन विधायकों में असंतोष का ज्वालामुखी जब भी फूटेगा, सरकार को भस्म कर देगा। मुख्यमंत्री के नवरत्नों ने यह सलाह नहीं दी होगी पर मैं दे रहा हूं। चिंता चिता के समान है, इसलिए अपनी कमियों पर चिंतन करें।

नम्बर मिलाइए
9587884433

सिर्फ एक फोन कॉल पर विज्ञापन घर बैठे बुक करायें।

NAME CHANGE

I, Shrey Jagawat S/o Devendra Pratap Jagawat R/o House No-332 Sector-6 Vidhyadhar Nagar Jaipur - 302039, have changed my name to Shrey Pratap Jagawat for all purposes

खोया पाया

मैं बुद्धि प्रकाश मीणा पुत्र श्री भौरीलाल मीणा निवासी घाट की गुणी मेरे मकान के मूल कागजाद हथरोई गृह निर्माण सहकारी समिति क्रमांक 2686/ प्लाट नं.6 के पेपर ट्रांसपोट नगर क्षेत्र में खो गये। मिलने पर सूचित करें- 9828277622